# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 888/2016/अजमेर**

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत–करापवंचन, भरतपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स आशिका कर्मिशयल प्रा0 लि0,
किशनगढ़, अजमेर। .....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**

**श्री नत्थूराम, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री जमील जई,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.सी.सोगानी, .....प्रत्यर्थी की ओर से

अधिवक्ता

**निर्णय दिनांक : 30/08/2017**

## निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 129/वैट/2014–14 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 1,96,860/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.07.2014 को वाहन संख्या RJ21 G 2974 को सारस चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग–1 पर रूकवाकर चैक किया गया। परिवहनित माल एच.आर.प्लेट के संबंध में वाहन चालक द्वारा सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये गये। जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेजों के अध्ययन से पाया कि माल झारखण्ड से किशनगढ़ के लिये परिवहनित किया जा रहा था। दस्तावेजों के संदिग्ध होने पर (वैट–47 के पार्ट बी में क्रमांक को काटकर दूसरा क्रमांक अंकित किया, दिनांक के कॉलम में काट छांट, टिन संख्या अंकित नहीं) फार्म नियत स्थान पर पंच किया हुआ नहीं है, जो कि धारा 76(2) सपठित नियम 53(1) का उल्लंघन है। करापवंचन के संदेह के आधार पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की अनुपालना में अधिकृत प्रतिनिधि ने जवाब पेश किया। जवाब पर गौर

लगातार.....2

करने पर पाया गया कि प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, माना गया कि जानबूझकर करापवंचन की मंशा से दस्तावेज तैयार किये गये है। उक्त आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर मांग राशियां आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि घोषणा प्रपत्र में की गई कांट–छांट मानवीय त्रुटि से गलत अंकन किया गया, जिसके आधार पर शास्ति अविधिक है। वक्त निरीक्षण माल से संबंधित समस्त दस्तावेज वांछित धारा 76(2) के अनुसार खरीद बिल, बिल्टी, एक्साइज दस्तावेज एवं घोषणा पत्र वैट–47 पेश कर दिये गये थे। घोषणा पत्र वैट–47 भरते समय गलती होने पर सुधार किया गया जो अनिवार्य था। सशक्त अधिकारी द्वारा तथ्यों को बिना देखें ही आदेश पारित कर दिया गया जो वैधानिक तथा तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। माल के साथ वैध बिल व बिल्टी संलग्न थे। केवल कल्पना के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया है जो विधिक नहीं है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वाहन को सारस चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग–1 पर चैक किया गया। वाहन के साथ बिल, बिल्टी मौजूद थे। माल झारखण्ड से किशनगढ जा रहा था। वक्त चैकिंग वाहन के साथ समस्त दस्तावेज मय वैट 47 पाया गया। दस्तावेजों की कमी पेशी पर जांच अधिकारी द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है। वैट–47 भरते समय भूलवश गलत नम्बर अंकित हो गया तो उसमें सुधार करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि दस्तावेजों को सुधार किया हुआ प्रस्तुत किया गया। पार्ट ए के बिन्दु संख्या 1 में consignor का नाम Steel Authority of India Ltd. है। दिनांक, पार्ट बी के प्रथम भाग में स्पष्ट अंकित है तथा कोई कटिंग नहीं है। इसी प्रकार बिल नं. के सम्बन्ध में प्रथम भाग में कटिंग है परन्तु द्वितीय भाग में कोई कटिंग नहीं है। इस प्रकार कटिंग या ओवर राईटिंग सदभावी लिपिकीय त्रुटि हैं। सशक्त अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र को मिथ्या साबित नहीं किया गया है। अनुमान के आधार पर आरोपित शास्ति व करारोपण माननीय न्यायालयों के निर्णयानुसार विधिक नहीं कहा जा सकता। व्यवहारी अधिवक्ता

लगातार.....3

द्वारा प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्था सरकार बनाम डी.पी. मेटल्स (2002) 1 एससीसी 279 को मध्यनजर रखते हुए व्यवहारी पर आरोपित शास्ति अंतर्गत धारा 76(6) उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. परिणामतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2015 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

( नत्थूराम )
सदस्य